

डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

पत्रांक- / ५२१० / १९३

दिनांक- ०१/१/१८

कार्यालय आदेश

डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, खण्डारी परिसर, आगरा में अतिथि-गृह के पीछे समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित डा0 भीम राव अम्बेडकर महिला छात्रावास का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19.08.2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है। छात्रावास संचालन समिति की बैठक दिनांक 27.11.2017 के कार्यवृत्त की संस्तुति / निर्णय संख्या-17 में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि छात्रावास में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आगरा जनपद के सभी कालेज/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रावास में रहने का अवसर प्रदान किया जाय।

अतः सभी छात्रायें उपरोक्तानुसार अवगत हों तथा इच्छुक छात्रायें छात्रावास अधीक्षिका से स्वयं सम्पर्क कर अथवा उनके मोबाइल नं0. 9267123016 पर वार्ता कर छात्रावास में प्रवेश ले सकती हैं। छात्रावास में मेस सुविधा उपलब्ध है जोकि छात्राओं द्वारा समानरूप से धन एकत्रित कर चलाया जायेगा। छात्रावास में सभी वर्ग की छात्राओं के ठहरने का कक्ष किराया रू0 25/- प्रति छात्रा प्रतिमाह तथा प्रतिभूति राशि सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग की छात्राओं हेतु रू0 200/- प्रति छात्रा तथा अनुसूचित जाति/जन जाति की छात्राओं से रू0 100/- प्रति छात्रा से एक मुश्त लिया जायेगा जोकि अध्ययन समाप्त/कोर्स पूर्ण होने पर छात्रा द्वारा छात्रावास छोड़ने पर छात्रा को वापिस दिया जायेगा। छात्रा को केवल खाने-पीने के वर्तन तथा ओढने विछोने और पहनने के कपडे लाने होंगे शेष सुविधायें छात्रावास में ही निःशुल्क प्रदान कराई जायेंगी। अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की बेवसाइट- www.dbrau.org.in देखी जा सकती हैं।

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा
2. जिलाधिकारी, आगरा
3. उप निदेशक, जिला समाज कल्याण, मण्डल कार्यालय, आगरा
4. डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्ध आगरा शहर के सभी कालेज/महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश की एक प्रति अपने कालेज/महाविद्यालय के सूचना बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें तथा प्रत्येक कक्षाओं में प्रचारित कराने का कष्ट करें।
5. विश्वविद्यालय बेवसाइट प्रभारी को इस आशय से कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
6. विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी को इस आशय से कि वे उपरोक्त कार्यालय आदेशानुसार आवश्यक प्रचार प-प्रसार हेतु कार्यवाही करें।
7. अधीक्षक, कुलपति सचिवालय को कुलपति जी के अवगतार्थ
8. श्रीमती रेनूबाला, अधीक्षिका, छात्रावास को छात्रावास के सूचना बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
9. श्रीमती राना कुमारी, लेखा विभाग एवं पटल प्रभारी छात्रावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अभिलेखण्ड

कुलसचिव,

